



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट
(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा-89.सी०पी०सी०, 1908 के सन्दर्भ में विरचित की गयी उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 जो कि नोटिफिकेशन उ०प्र० अधिसूचना संख्या-10/2021/195/सात-न्याय-2-2021-31 जी० / 2008 लखनऊ दिनांकित-23.04.2021 को प्रकाशित हुयी, के अनुपालन में उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 सपठित नियम-3 (बी) एम०सी०पी०सी० मीडियेशन नियमावली-2015 तथा माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक संख्या 3339 / एसएलएसए 197/2026 (कुलदीप), दिनांक 29.09.2026 के द्वारा ए०डी०आर० सेन्टर के अन्तर्गत परामर्श एवं सुलह-समझौता केन्द्र जनपद चित्रकूट में मध्यस्थ अधिवक्तागण की संख्या में वृद्धि हेतु 06 पद पर नियुक्त किया जाना है, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण, सरकारी कर्मचारीगण, प्राधानाध्यापक, बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, समाज सेवक और अन्य व्यक्ति जिनके पास विवाद समाधान का कोई अनुभव हो, शामिल हैं, पात्र व्यक्तियों के आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं, इच्छुक आवेदक नियमावली के प्रारूप में दिये गये आवेदन पत्र के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक-09.10.2026 की साय: 05:00 बजे तक सम्बन्धित दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। आवेदक उपरोक्त नियमावली में नियुक्ति योग्यता / अयोग्यता व अन्य विषयों के सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट के कार्यालय में अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक-03.10.2026

(इला चौधरी)

सचिव

संलग्न: आवेदन पत्र का प्रारूप

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्रकूट।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट।
2. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय चित्रकूट को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष / सचिव, बार एसोसिएशन चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. श्रीमान् जिलाधिकारी, चित्रकूट को समस्त विभागों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
5. चरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार (पेंशन प्रकोष्ठ) कार्यालय चित्रकूट को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
6. अग्रणी बैंक मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा चित्रकूट को समस्त बैंक शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी एवं समस्त संपादक/संवाददाता, समस्त दैनिक समाचार पत्र जनपद चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने-अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(इला चौधरी)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्रकूट।

Schedule - I

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

1. Name :
2. Father's Name :
3. Address :
(a) Office
(b) Residence
4. Telephone No. :
(a) Office
(b) Residence
5. Mobile No. :
(a) Office
(b) Residence
6. E-mail Id:
7. Academic Qualifications:
8. Professional Qualifications and Experience:
9. Technical experience, if any:
10. Special qualification or experience in Mediation, if any:
11. Bar Council Enrollment Number with date:
(applicable only to advocates)
12. Whether any Charge Sheet has been submitted against you in any Court? :
13. Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral turpitude? :
14. Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of unsound mind? :
15. Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by the disciplinary authority, or whether you have been punished in such disciplinary proceedings? :

Self attested
Photograph to be
affixed

I do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator in Judgeship and give my consent for being empanelled under Rule 3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Mediation Rules, 2021. I assure that during my term as a mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 22 of the said Rules while performing my duties. I also undertake to undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. I declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

Full Signature:

Date:

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeshup.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।